The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 10 | October 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्यायः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

Dr. Bhuwaneshwar Manjhi

Ph.D., Political Science, Sido Kanhu Murmu University, Dumka, Jharkhand,

Email-krbhanu72@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17637689

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 27-10-2025

Published: 10-11-2025

Keywords:

भारतीय समाज, दलित, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, जाति व्यवस्था, ।

ABSTRACT

सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की आत्मा और दृष्टि है। सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाये रखने के लिये राज्य का कर्तव्य है कि देश की वैधानिक विधि का समान अवसरों के आधार पर आवंटित हो। साथ ही राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि समाज का कोई भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि न्याय से बंचित नहीं रहे। न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भरतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा अर्थात प्रस्तावना में विशेष महत्व दिया गया है। भारत अपनी आरक्षण नीति के माध्यम से सामाजिक न्याय को अभ्यास में लाने का प्रयास कर रहा है। वास्तविक रूप से भारत में प्राचीन काल से ही जाति पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने एक सामाजिक व्यवस्था की घोषणा की, जो भारतीय समाज में अन्याय का मुख्य कारण रही थी। जिसने अस्पृश्यता भेदभाव जैसी प्रथा को जन्म दिया। समाज के कुछ समूह जिन्हें भारत में दलित नामक नाम से जानते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों, आजीविका इत्यादि अधिकारों की पहुंच से बंचित कर दिया गया था। इस सामाजिक असमानता के भेदभाव को समाप्त करने के लिए और न्यायपूर्ण देश के निर्माण के लिये अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि के दौरान सामाजिक न्याय की अवधारणा को संबोधित किया।

उद्देष्य :–इस शोधपत्र में भारतीय समाज में सामाजिक न्याय पर डॉ0 बी0 आर0 आंबेदकर के विचारों का वर्णन किया जायेगा। अंधविश्वास और रूढिवादी विचारों का खण्डन करते हुए समतामुलक समाज की स्थापना करने हेतु

संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। दलित विरोधी विचार मनुवादियों की अवधारणा का संवैधानिक तरीके से विरोध करते हुए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा का वर्णन किया गया है।

प्रस्तावना :–डॉ. आंबेडकर में हिन्दुओं में अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को संगठित करके उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं अस्पृश्य (महार) जाति में जन्म लेकर उन्होंने निरंतर संघर्ष तथा आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा ग्रहण की। जातिवाद तथा छुआछूत के कारण बाल्यकाल से ही उन्हें अपमान तथा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव बाद में उनके विचारों पर पढ़ना स्वाभाविक था। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने समानता के व्यवहार का अनुभव किया, जो भारत में उनके लिए वर्जित था। अब्राहम लिंकन तथा वाशिंगटन के विचारों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह कबीर की भक्ति फूले जी के समाज सुधार तथा साहू महाराज के ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष से भी प्रभावित थे। अम्बेडकर विचारधारा पर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता एक भ्रातृत्व के पाश्चात्य विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान वह रंगभेद की नीति का विरोध करने वाले चौदहवें संशोधन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इससे उन्हें भारत में दलितों का उद्धार करते हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उनका मत था कि दलितों को स्वतंत्रता जीवनयापन व सक्षम बनाने हेतु संवैधानिक उपचार ही सुरक्षा की दृष्टि से सहायक होंगे। उनके द्वारा लिखी गई अनेक कृतियों में जाति–प्रथा का उन्मूलन (Annihilation of Caste), शूद्र कौन थे (Who were the Shudras?) तथा अस्पृश्य जातियाँ (The Untouchable) सामाजिक न्याय की दिशा में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है।1

न्याय के लिए आधुनिक दृष्टिकोण समान तौर पर उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की संकल्पना पर निर्धारित हैं। उदारवादी तर्क यह है, कि न्यायपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता एक समाज के लिए आवश्यक हैं. जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण न्यायपूर्ण समाज के लिए समानता पर निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थितियों के स्त्रोतों के आधार पर जब तक समाज में मौजूदा असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक समाज स्थापित नहीं होगा। क्योंकि न्याय का मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और अधिकार हैं।

सामाजिक न्याय की अवधारणा :–

प्लेटो ने अपनी पुस्तक "The Republic" में न्याय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है। वहीं बार्कर का विचार है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन, जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है।2

सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए। लिंग, वर्ण, जाति, धर्म व स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास

के सभी अवसर सुलभ कराए जाएँ। सामाजिक न्याय किसी भी आधार पर किए गए शोषण को स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः सामाजिक न्याय एक विस्तृत अवधारणा है, जिसमें आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय पर विचार :–

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने भारत में अछूतों के लिए एक आधुनिक शब्द, दलित, हमारे समाज के सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में वंचित लोग है, जो भारत के जातिगत सामाजिक स्तरीकरण द्वारा उनके दुख, भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न का कारण बने। दलितों की इन दयनीय स्थितियों को ज्योतिबा फुले, डॉ. भीम राव अंबेडकर जैसे कुछ प्रख्यात सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिकों ने संबोधित किया। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, उनके द्वारा निर्मित संवैधानिक पाठ सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संवैधानिक गारण्टी और सुरक्षा प्रदान करता है। भारत का संविधान दलितों को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति को विशेष अधिकारों के रूप में वर्गीकृत करता है। वे ऐसे लोग हैं जो जमीन पर खेती करने, जूते धोने, कपड़े धोने, शौचालय साफ करने, मृत जानवरों को दफनाने आदि कामों में व्यस्त रहते हैं, अस्पृश्यता और अक्सर निम्न जातियों के सदस्यों के साथ खाने, धूम्रपान और यहां तक कि एक साथ बैठने इत्यादि से इंकार किया जाता है तथा उन्हें अक्सर कुओं और नलकूपों का उपयोग नहीं करने के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय संविधान में दलितों के इस भेदभाव को कम करने के लिए प्रावधान किए गए है।3

डॉ0 बाबा साहेब आंबेदकर ने कहा–''ऐसे देश में जन्म लेना महापाप है, जहाँ लोगों का मन पूर्वाग्रह से दुषित हैं मुझे हर तरफ से भला–बूरा कहा गया फिर भी मैंने जो काम किया है, वह बहुत बड़ा है। मैं अपना काम जारी रखूँगा। मरते दम तक काम करते रहेंगे।'' डॉ. आंबेडकर सामाजिक क्रांतिकारी थे। वह हिन्दुओं, विशेषतः ब्राह्मणों के हाथों अपमानित होने वाले दलित वर्ग के उद्धारक थे। उन्होंने दलित समुदाय को तिरस्कार तथा अधीनता के उस दलदल में से उबारा जिसमें धर्मान्त तथा धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों ने उन्हें फंसा दिया था। तिलक की तरह उनका मत था कि प्रत्येक को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अधिकार दान में नहीं दिए जाते। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को पूर्वस्थापित सामाजिक संरचना, रीति–रिवाजों, विश्वासों व व्यवहार के विरुद्ध लड़ना होगा। अपनी प्रसिद्ध कृति शूद्र कौन थे? में उन्होंने मनु द्वारा निर्दिष्ट वर्ण–व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वेदों में वर्णित चतुर्वर्ण–व्यवस्था का खण्डन किया, जिससे ब्राह्मणों की तुलना पुरुष के मुख से. क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से तथा शुदों की पगों में की गई है। यह सिद्धांत असमानता का द्योतक है। उनके अनुसार वर्ण–व्यवस्था पर आधारित हिन्दू समाज शोषण व असमानता को बढ़ावा देता है। अस्पृश्य वर्ग वर्ण–व्यवस्था की उत्पत्ति है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त है तथा अस्पृश्यों को शोषण व दमन का सामना करना पड़ता है। अतः

अस्पृश्यता निवारण व भारतीय समाज में सुधार का एक ही उपाय है कि वर्ण व्यवस्था का अन्त कर दिया जाए। अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू समाज में समानता सम्भव नहीं है इसी कारण अन्ततः उन्होंने हिन्दू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था।4 सामाजिक न्याय की आंबेडकर की अवधारणा सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करते थे. जो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव और मानव के बीच सही संबंधों पर आधारित हो। एक तर्कवादी और मानवतावादी के रूप में उन्होंने धर्म के नाम पर मनुष्य किसी भी प्रकार के पाखंड, अन्याय और शोषण को स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसे धर्म का समर्थन करते थे जो नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो जो सभी समुदायों, सभी देशों और सभी जातियों के लिए लागू है। यह तर्क के अनुरूप होना चाहिए और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। वह जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई मानते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था सभी असमानताओं का मूल कारण है–अम्बेडकर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के जनक भी है।5

संवैधानिक प्रावधान :–आंबेडकर एक ऐसे सामाजिक न्याय व्यवस्था के समर्थक थे जहां मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित होती हो और जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान या अछूत नहीं होता माना जाता हो। उन्होंने देश के सामाजिक रूप से शोषित और आर्थिक रूप से शोषित लोगों के लिए अधिमान्य उपचार की नीति की वकालत की। भारत के संविधान, जिसे अम्बेडकर जी की प्रारूप समिति की अध्यक्षता में निर्माण किया गया था, में कई प्रावधान शामिल है जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के साथ–साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए सुरक्षित करने में संलग्न हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान ऐसे सम्मिलित किये गये है जो जनता को समाज में समानता का दर्जा उपलब्ध करवाते है। अंबेडकर ने संविधान के पारित होने के लिए संविधान सभा के समक्ष अपने भाषण में कहा कि आज मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया है, काश कल भी सूर्योदय हो। नए भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का सूरज उगाना बाकी है।

संविधान का निमार्ण करते समय डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी और संविधान निर्माताओं के द्वारा सामाजिक न्याय की भूमिका पर स्पष्ट बल दिया है। संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को भलि–भांति समझ लिया गया था कि सच्चे लोकतन्त्र के लिए स्वतन्त्रता और समानता कि ही नहीं, वरन न्याय की भी आवश्यकता है क्योंकि न्याय के बिना स्वतन्त्रता और समानता के आदर्श सिद्धांत बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये लोकतांत्रीय व गणतन्त्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को छः स्वतन्त्रताएं प्रदान कि गयी है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है। संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकार और चतुर्थ भाग (राज्य की नीति निदेशक तत्व) में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत, भारत के सभी नागरिको को कानून के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान

की गयी है। अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद–भाव नहीं किया जायेगा और अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत तथा अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अन्त कर दिया गया है। संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदों द्वारा तो सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है और संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत विशेषतया अनुच्छेद 41 से 47 तक जो विविध व्यवस्था की गयी है, उनका लक्ष्य सकारात्मक रूप में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 41 में नागरिकों को कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 42 राज्य को जिम्मेदारी सौंपता है कि यह काम की उचित दशाएं बनाये रखने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रबन्ध, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी उन्नति और अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को उठाने की मांग की गयी है। किसी एक के धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर चुनावों में अपभ्रंश के खिलाफ प्रतिबंध है (अनुच्छेद 325)। अनुच्छेद 330 और 333 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संघ और राज्य विधायिका को अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का आदेश देता है ताकि उन्हें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी की जा सके। अंत में, अनुच्छेद 341 प्रत्येक अनुसूचित राज्य या अनुसूचित जाति के आन्तरिक उप समूहों की सूची के संबंध में अनुसूचित जातियों के विभिन्न उपश्रेणियों की सरकारी पहचान को संभव बनाता है। सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अंतिम माना जाता है।7

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो विशेष सुविधाए प्रदान की गयी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से सामाजिक न्याय के प्रतिकुल नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में इन दलित वर्गों की स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई थी और जब तक इन्हें विशेष स्थिति प्रदान न कर दी जाय, तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में समानता और न्याय के आदर्शों को स्वीकार किया है। तदनुसार, इसने धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी वर्ग के किसी भी भेदभाव को समाप्त कर दिया। इस आदर्श के अनुसरण में यह है कि संविधान ने धर्म के आधार पर विधानसभाओं या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में सीटों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या आरक्षण को समाप्त कर दिया है। निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 46, राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में विशेष ध्यान रखने के लिए शामिल करता है और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाता है। राज्य द्वारा किए गए ऐसे किसी भी प्रावधान को भेदभाव की जमीन पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 330 से 342 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सुरक्षित–संरक्षण हितों के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान इस बात को परिभाषित नहीं करता है कि

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 341 और 342 में कौन लोग हैं, हालांकि, राष्ट्रपति को इन जातियों और जनजातियों की सूची तैयार करने का अधिकार है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय की संकल्पना8 :–वर्तमान पहलुओं के आधार पर आज, दलित कुल भारतीय आबादी का 16.2% हिस्सा है। लेकिन देश के संसाधनों पर उनका नियंत्रण मात्र 5% से भी कम है। दलितों की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और इससे भी अधिक (62%) अशिक्षित हैं। बिहार के नवादा जिले में 18 सितंबर 2024 को एक दलित बस्ती में दंबंगों द्वारा 34 दलित घरों को आग लगा दिया गया था और प्रशासन अभी तक मुकदर्शक बनी हूई है। सोनभद्र में पिछले छः माह में 156 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज इन पीड़ितों के मुकदमों के बाद समाज कल्यान विभाग उन्हें 1 करोड़ 73 लाख 20 हजार रूपये की मुआवजा भुगतान अब तक कर चुका है। NCRB का डाटा बताता है कि वर्ष 2023 में दलितों के खिलाफ अपराध के 57789 मामले दर्ज हुए है जो वर्तमान भारत सरकार का दलित विरोधी चेहरा दर्शाता है। 29 मार्च 2022 को status of Domestic Workers in Jharkhand शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में झारखण्ड में 73% घरेलु कामगार SC/ST समुदाय से आते है जिनका प्रति माह मजदूरी 3,000/– रू0 तक ही सीमित है। नेशनल दलित मुवमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ)–क्वेस्ट फॉर जस्टिस' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 से 2018 तक दलितों के खिलाफ अपराध 6 प्रतिशत बढ़े हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज मामले में SC के कुल 51656 तथा ST के 9735 मामले दर्ज हुए हैं। जिसमें से लंबित मामले SC–17166 तथा ST–2702 मामलें लंबित है।

निष्कर्ष :–डॉ. आंबेडकर के विचारों पर संयम रखते हुए भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के आधार पर सभी नागरिकों को समान अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के आधार पर अभी भी दलितों की स्थिति में प्रमुख सुधार नहीं है। हालांकि, संविधान के अन्तर्गत इस वर्ग के उत्थान के लिये कई प्रावधान किये गये है। जिससे कि दलितों के साथ भेदभाव न होकर समान व्यवहार हो। किन्तु अभी भी दलित वर्गों के साथ स्वर्ण लोगों द्वारा भेदभाव किया जाता है। आंबेडकर के द्वारा सामाजिक न्याय की जो संकल्पना प्रस्तुत कि गयी थी यह अभी तक समाज में सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं की गयी है। अर्थात् समाज में आंबेडकर जी के विचारों को वास्तविक रूप् से अभ्यास में अपनाया नहीं है। आंबेडकर भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के साथ हो रहे शोषण के प्रति अधिक चिंतित थे। दलितों के साथ हो रहे भेदभाव का दृष्टिकोण करते हुए उन्होंने संविधान में प्रावधानों को लागू करके आधुनिक जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का विकल्प चुना। इसलिए, सामाजिक न्याय के आंबेडकर के विचार कमजोर वर्गों के अधिकारों और उनके सम्मान को समाज में सरोकार करने हेतु संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को बढ़ावा दिया। भारतीय संविधान में मौजूदा अधिकारों से संबंधित प्रावधान भारतीय समाज में प्रासंगिक है। हालांकि, केवल संवैधानिक प्रावधान भेदभाव की सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करने में पर्याप्त रूप से साबित

नहीं हुए। स्वतन्त्रता के तत्पश्चात् से वर्तमान अवधि तक सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से स्थापित होने में असमर्थ रहा है। क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था, धर्म, अल्पसंख्यक इत्यादि के साथ भेदभाव व असमानता के कारण इनकी स्थिति समाज में आज भी दयनीय बनी हुई है। उदाहरण स्वरूप दलितों ने समाज में सम्मानपुर्वक रहने व हिंदू धर्म में जाति आधारित भेदभाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का वैकल्पिक निर्णय अपनाया। इन सभी पहलुओं के आधार पर व निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप, यह कहा जा सकता है कि इस तरह के सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम देश से जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था जैसी कुरूतियों को समाप्त किया जाना चाहिए तभी एक आदर्श सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। समाज में दलितों के साथ असमानता को समाप्त विविध सुझावों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। आंबेडकर के न्याय की अवधारणा को सभ्य समाज के माध्यम से संस्थानों द्वारा प्रचारित किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रमों में जातिवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। संस्था, संगठन, एनजीओ इत्यादी के माध्यम से लोगों को जातिवाद के प्रति जागरूक करना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा भी समय–समय पर सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करते रहना चाहिए।

संदर्भ सूची :–

- Majumdar, A.K. and Singh, B.edited (1997): "Ambedkar and Social Justice", New Delhi: Radha Publications, p.1-44
- Pylee, M.V. (2006): "Constitutional Government in India", New Delhi: S.Chand & Company, Sixth Edition, p.59
- Pandey, J.N. (2005) "Constitutional Law of India", Allahabad: Published Central Law Agency, Forty Second Edition, p.662-66
- आंबेडकर, डॉ0 बाबा साहेब : मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110002, पेज नं0–109, 169, 173
- पेरियार, ई0वी0 रामासामी, दर्शन–चिंतन और सच्ची रामायण, अनुवादक–वी0 गीता फारवर्ड प्रेस, 803 दिपाली बिल्डिंग, 92 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019, पेज नं0–111, 113
- फुले, महात्मा जोतीराव, गुलामगिरी, अनुवादक–प्रभाकर गजभिये, सुधीर प्रकाशन, गणेश नगर, वर्धा, महाराष्ट्र पेज नं0–111
- गाबा, डॉ0 ओ0 पी0, भारतीय राजनीति विचारक, नेशनल पेपरवैक्स, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली 110002, पेज नं0–231
- समसामयिकी विश्व घटनाचक्र वार्षिकांक वर्ष–2024–25